



श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया

(विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार) 854318

पत्रांक :- SPNREC/699

दिनांक :- 25.09.2023

सूचना

संस्थान के सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि AICTE के नियमानुसार किसी भी छात्र-छात्राओं का रैगिंग (Ragging) लेना दंडनीय अपराध है। उक्त कार्य को करते हुए पकड़े जाने अथवा किसी छात्र-छात्राओं के द्वारा शिकायत किये जाने पर संस्थान प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः सभी छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि रैगिंग (Ragging) संबंधित अपराध से दूर रहें।

AKG
25.09.2023
प्राचार्य

श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय
अररिया।